भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (दंड का न्यायनिर्णयन) नियम, 2021¹ *[23.10.2023 को अद्यतन किया गया]*

आधर (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 33क, 33ख एवं 33ग के साथ पठित धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (छक), (छख) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रायोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (दंड का न्यायनिर्णयन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) से है;

(ख) ''प्रपत्र'' से अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है; और

(ग) ''जांच'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 33ख में संदर्भित जांच से है।

(2) यहां उपयोग किए गए शब्द या अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में दिया गया है।

3. **न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति का तरीका, योग्यता और अनुभाव-** (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 33ख की उप-धारा (1) के तहत की जाएगी जो-

- (क) भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो;
- (ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सांविधिक संगठन में दस वर्ष या उससे अधिक समय तक नियमित आधार पर कार्य करने का अनुभव हो; और
- (ग) इस संबंध में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ विधि, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी या वाणिज्य से किसी भी विषय में प्रशासनिक या तकनीकी जानकारी हो।

¹ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग॥, खंड 3, उप-खण्ड (i) संख्या 624, दिनांक 2.11.2021 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि.772 (अ), दिनांक 29.10.2021 द्वारा प्रकाशित।

4. **न्यायनिर्णयन अधिकारी को शिकायत करने का तरीका-** (1) अधिनियम की धारा 33ख की उप-धारा (2) के तहत प्राधिकरण द्वारा नयायनिर्णयन अधिकारी को शिकायत की जाएगी, या धारा उल्लंघन की प्रकृति, अधिनियम के या नियम या विनियम अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश के संबंधित उपबंध को तथा व्यक्ति या संस्था पर अधिरोपित किए जाने वाले अधिकतम दंड और यथासंभव, ऐसे उल्लंघन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ समय, उल्लंघन के स्थान को स्पष्ट रूप से इंगित करती है।

(2) प्राधिकरण आदेश द्वारा प्राधिकरण के किसी अधिकारी को, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष मामला प्रास्तुत करने के लिए प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नामित कर सकता है।

5. शिकायत की जांच करने का तरीका- (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी, दंड का निर्णय करने से पूर्व, उस व्यक्ति या संस्था, जिसने कथित तौर पर उल्लंघन किया है, को ऐसी अवधि जिसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, (उस पर सेवा की तारीख से तीस दिन से कम न हो), के अंर्तगत कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उस पर जुर्माना अधरोपित किया जाए:

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत जारी किए गए प्रत्येक नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, अधिनियम के तहत कथित रूप से कृत या किए गए गैर-अनुपालन और चूक, व्यक्ति या संस्था जिसके खिलाफ, या वस्तु, यदि कोई हो, जिसके संबंध में, यह कृत्य हुआ था, को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा जारी संबंधित उपबंध या नियम अथवा विनियम या निर्देश और अधिकतम दंड जो व्यक्ति या संस्था पर लगाया जा सकता है, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाए:-

बशर्ते यह भी कि न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को अधिकतम पंद्रह दिनों के लिए और आगे बढ़ा सकता है, यदि व्यक्ति या संस्था जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णयन अधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण है।

(2) ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर की प्राप्ति पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति या संस्था को, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए, और प्राधिकरण के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि नियुक्त किया गया है, को सुनवाई का नोटिस जारी करेगा:

बशर्ते कि, जहां व्यक्ति या संस्था, इस उप-नियम से संदर्भित उत्तर में दोषी स्वीकार करते हैं, कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी और न्यायनिर्णयन अधिकारी तर्क को रिकॉर्ड करेगा, और वह अधिनियम, नियम, विनियम ओर इसके तहत बनाये गए आदेश या निर्देशों के उपबंधों के अनुसार जैसा उचित समझे दंड अधिरोपित करेगा। (3) सुनवाई के लिए नियम तिथि पर और संबंधित व्यक्ति या संस्था और प्राधिकरण के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि नियुक्त किया जाता है, को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरांत न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यधीन, लिखित रूप में ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है जिसे वह स्थगन के आदेश सहित ठीक समझे:

बशर्ते कि न्यायनिर्णयन अधिकारी, सुनवाई के उपरांत, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि नियुक्त है, को और ऐसे व्यक्ति या संस्था को कुछ मुद्दों पर लिखित रूप में उत्तर प्रस्तुत करने या अपने संबंधित मामले का लिखित विवरण दाखिल करने या ऐसे दस्तावेज या सबूत पेश करने का अवसर दे सकता है जैसा उप-नियम (1) के तहत जारी नोटिस के लिए प्रासंगिक विचान किया जा सकता है और, यदि आवश्यक हो, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के संबंध में सुनवाई को भावी तिथि के लिए स्थगित किया जा सकता है।

(4) इन नियम के प्रयोजनार्थ, न्यायनिर्णयन अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में, जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए बुलवाने और उपस्थित करवाने का अधिकार होगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति या संस्था, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उप-नियम (2) में संदर्भित नोटिस के अनुसार उत्तर देने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति या संस्था की अनुपस्थिति में सुनवाई के लिए, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के उपरांत, आगे बढ़ सकता है।

(6) (i) व्यक्ति या संस्था और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि नियुक्त है, अपने जवाब के साथ गवाहों, जिनसे पूछताछ करना चाहते हैं, की एक सूची प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी किसी भी बिंदु पर गवाहों की पुन: परीक्षा करने का हकदार होगा, जिस पर उनकी जिरह की गई है, लेकिन न्यायनिर्णयन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी नए मामले पर नहीं।

(7) सुनवाई समाप्त करने से पूर्व, न्यायनिर्णयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति या संस्था को उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।

(8) जहां वह व्यक्ति या संस्था, जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है, सुनवाई के दौरान दोषी होना स्वीकारता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी उक्त दलील को रिकॉर्ड करेगा, और अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेशों या उसके तहत बनाए गए निर्देशों के उपबंधों के अनुसार ऐसा जुर्माना अधिरोपित करेगा जिसे वह उचित समझे। (9) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी, पूछताछ करने पर, संतुष्ट होता है कि ऐसा व्यक्ति या संस्था अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या अधिनियम की धारा 23क के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, या प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना, दस्तावेज प्रास्तुत करने या रिपोर्ट वापस करने में विफल रहा है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी, अधिनियम के उपबंध के अनुसार आदेश द्वारा सिविल दंड अधिरोपित कर सकता है।

(10) उप-नियम (9) में संदर्भित आदेश मौखिक और दस्तावेजी प्रस्तुत्तियों के साथ-साथ सुनवाई के दौरान स्वीकार किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज के संदर्भ में तर्कसंगत और आख्यापक आदेश होगा। आदेश की अभिप्रमाणित प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(11) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा लगाए गए किसी भी दंड की राशि को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष में जमा किया जाएगा और यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे भू-राजस्व का बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है।

6. **न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का ढंग और तरीका**- न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रत्येक अपील प्रपत्र 'क' के अनुसार दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के समक्ष लिखित रूप में दायर की जाएगी।

7. अपील दायर करने के लिए शुल्क – अधिनियम की धारा 33ग की उप-धारा (2) के तहत दायर अपील के साथ किया जाने वाला शुल्क वही होगा जो दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (फॉर्म, सत्यापन और अपील दायर करने के लिए शुल्क) नियम, 2003 समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट किया गया है।

प्रपत्र क

(नियम 6 देखें)

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, नई दिल्ली में

अपील-क्षेत्राधिकार

अपील संख्या. /20[*]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के मामले में

[*] के द्वारा [*] को दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में

क.ख. (आधार पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्ति या संस्था का नाम और पता (पंजीकृत पता, यदि कोई संस्था है) उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (आधार संख्या/पैन/डीआईएन), यदि कोई हो, के माध्यम से अपीलकर्ता की ईमेल आईडी के साथ)

.....अपीलकर्ता

ग.घ. (न्यायनिर्णयन अधिकारी का विवरण, और पते के साथ 'अन्य' जोड़े। प्रत्येक प्रतिवादी का विवरण कालानुक्रमिक क्रम में दिया जाना है।)

.....प्रतिवादी

1. अपील का ब्योरा :

[न्यायनिर्णयन अधिकारी के उस निर्णय या आदेश का विवरण दें जिसके विरूद्ध अपील की गई है]।

2. अपील अधिकरण का क्षेत्राधिकार:

[अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि निर्णय या आदेश जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है, का मामला आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 33ग की उप-धारा (1) के अनुसार इस माननीय अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है]।

3. परिसीमाः

[अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि दायर की गई अपील आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 33ग की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत है]।

अथवा

[अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि दायर की गई वर्तमान अपील निम्नलिखित कारणों से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 33ग की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के परे है:]। 4. मामले का सार:

[यहाँ काल क्रमानुसार तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव पृथक मुद्दे तथा आदि का उल्लेख हो।]

5. अपील के आधार:

ऐसे मामले जो पहले किसी अन्य अदालत में दायर या लंबित नहीं हैं:

अपीलकर्ता यह भी घोषित करता है कि उसने या उसके द्वारा पहले इस तरह के विषयगत मामले में कोई रिट याचिका या मुकदमा दायर नहीं किया गया है, न ही किसी के समक्ष ऐसी कोई रिट याचिका या मुकदमा पहले से लंबित है जिसके संबंध में यह अपील किसी अदालत या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष की गई हो।

7. मांगी गई राहत:

उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है:

(ऐसी राहत के आधार और कानूनी उपबंधों, यदि कोई हों, जिन पर भरोसा किया गया है, को स्पष्ट करते हुए मांगी गई राहत नीचे विनिर्दिष्ट करें)।

8. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए प्रार्थना:

आवेदन पर अंतिम निर्णय लंबित होने तक, अपीलकर्ता निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करने की मांग करता है:

(यहां कारण सहित प्रार्थना किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति बतायें)।

9. अनुक्रमणिका का विवरण:

(विश्वसनीय दस्तावेजों के विवरण वाली एक अनुक्रमणिका संलग्न है और अनुलग्नकों की सूची में भी उल्लेख किया गया है)।

10. अपील के लिए शुल्क के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट का विवरण।

अनुलग्नकों की सूची:

- 1. उस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है;
- 2. अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार देने की प्रति;

- 3. विलंब माफ करने संबंधी आदेश, यदि कोई हो;
- 4. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि हो तो।

सत्यापन

दिनांक:

स्थान:

अपीलकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मुहर

अपीलकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर और ईमेल पता सहित

नाम, पता एवं संपर्क ब्योरा(आधार नंबर/पैन/डीआईएन)

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA (ADJUDICATION OF PENALTIES) RULES, 2021¹

[Updated as on 23.10.2023]

In exercise of the powers conferred by clauses (ga), (gb) and (h) of sub-section (2) of section 53 read with sections 33A, 33B and 33C of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Unique Identification Authority of India (Adjudication of Penalties) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);
- (b) "Form" means a form annexed to these rules; and
- (c) "inquiry" means the inquiry as referred to in section 33B of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Manner of appointment, qualification and experience of the Adjudicating Officer.—(1) The Adjudicating Officer shall be appointed by the Authority under sub-section (1) of section 33B of the Act, who shall—

- (a) be an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India;
- (b) possess working experience of ten years or more in the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Union territory administration or Autonomous or Statutory Organisation on regular basis; and
- (c) possess administrative or technical knowledge in any of the disciplines of law, management, information technology or commerce with at least three years of experience in this regard.

4. Manner of making complaint to the Adjudicating Officer.—(1) The complaint shall be made to the Adjudicating Officer by the Authority under sub-section (2) of section 33B of the Act in a manner which clearly indicates the nature of contravention, relevant provision of the Act or rule or regulation or direction issued by the Authority and the maximum penalty which can be imposed on the person or entity and as far as possible, the timing, place of contravention along with documents in support of such contravention.

(2) The Authority may by order nominate an officer of the Authority to be known as a Presenting Officer to present the case on behalf of the Authority before the Adjudicating Officer.

¹Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2.11.2021, *vide* Notification No. G.S.R. 772(E), dated 29.10.2021.

5. Manner of holding inquiry into the complaint.—(1) The Adjudicating Officer, before adjudging penalty, shall issue a notice to the person or entity alleged to have committed the contravention, requiring him or it to show cause, within such period as the notice may specify (being not less than thirty days from the date of service thereon), as to why the penalty should not be imposed on him or it:

Provided that every notice issued under this sub-rule, shall clearly indicate the nature of contravention, noncompliance and default under the Act alleged to have been committed or made, the person or entity against whom, or the thing, if any, in respect of which, it was committed and also draw attention to the relevant provision or rule or regulation or direction issued by the Authority and the maximum penalty which can be imposed on the person or entity:

Provided further that the Adjudicating Officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period by a further period not exceeding fifteen days, if the person or entity, as the case may be, satisfies the Adjudicating Officer that he or it had sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period.

(2) On receipt of the reply submitted by such person or entity, the Adjudicating Officer shall issue a notice of hearing to such person or entity, through its authorised representative, and to the Presenting Officer of the Authority, if appointed:

Provided that, where the person or entity, pleads guilty in the reply referred to in this sub-rule, no hearing shall be required and the Adjudicating Officer shall record the plea, and impose penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations, orders or directions made thereunder.

(3) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person or entity concerned and Presenting Officer of the Authority, if appointed, the Adjudicating Officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order in writing as he thinks fit including an order for adjournment:

Provided that the Adjudicating Officer after hearing, may give an opportunity to the Presenting Officer if appointed, and such person or entity to submit reply in writing on certain other issues or to file written briefs of their respective case or produce such documents or evidence as they may consider relevant to the notice issued under subrule (1) and, if necessary, the hearing may be adjourned to a future date for reasons to be recorded in writing.

(4) For the purposes of this rule, the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(5) Where any person or entity fails to reply or neglects or refuses to appear pursuant to the notice referred to in sub-rule (2), before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer may proceed with the hearing in the absence of such person or entity after recording the reasons for doing so.

- (6) (i) The person or entity and the Presenting Officer, if appointed, may submit a list of witnesses in addition to their reply, which they want to examine.
 - (ii) The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined but not on any new matter without the leave of the Adjudicating Officer.

(7) Before concluding the hearing, the Adjudicating Officer shall ensure that the person or entity through its authorised representative have been given a reasonable opportunity of being heard.

(8) Where the person or entity, in respect of whom notice, is issued pleads guilty during the hearing, the Adjudicating Officer shall record the plea, and impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations, orders or directions made thereunder.

(9) Where the Adjudicating Officer, on inquiry, is satisfied that such person or entity has failed to comply with any provision of the Act or rules or regulations made thereunder or directions issued by the Authority under section 23A of the Act, or has failed to furnish any information, document or return of report required by the Authority, the Adjudicating Officer may, by order impose civil penalty in accordance with the provision of the Act.

(10) The order referred to in sub-rule (9) shall be a reasoned and speaking order referring to the oral and documentary submissions as well as any other document accepted during the hearing. The certified copy of the order shall be provided to all parties.

(11) The amount of any penalty imposed by Adjudicating Officer shall be deposited into Unique Identification Authority of India Fund and if not paid, may be recovered as if it were an arrear of land revenue.

6. Form and manner of appeal against the order of the Adjudicating Officer.—Every appeal against the order of the Adjudicating Officer shall be filed in writing before the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal as per Form 'A'.

7. Fee for filing appeal.—The fee to be accompanied with an appeal filed under sub-section (2) of section 33C of the Act shall be the same as specified under the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Form, Verification and the Fee for filing an appeal) Rules, 2003 as amended from time-to-time.

Form A

(See rule 6)

IN THE TELECOM DISPUTES SETTLEMENT ANDAPPELLATE TRIBUNAL AT NEW DELHI

APPELLATE JURISDICTION

APPEAL NO. /20[•]

IN THE MATTER OF THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 (18 OF 2016)

AND

IN THE MATTER OF APPEAL AGAINST THE ORDER MADE ON [•] BY [•]

A.B. (Name and Address (registered address, if an entity) of the person or entity in the Aadhaar ecosystem through their duly authorised representative (Aadhaar number/PAN/DIN), if any, along with email id of the Appellant)

....Appellant(s)

C.D. (add description of the Adjudicating Officer, and 'others' along with address. The details of each respondent are to be given in a chronological order.)

....Respondent(s)

1. Details of appeal:

[give the particulars of the decision or order of the Adjudicating Officer against which the appeal is preferred].

2. Jurisdiction of the Appellate Tribunal:

[The appellant declares that the subject matter of the decision or order against which appeal is filed is within the jurisdiction of this Hon'ble Appellate Tribunal as per subsection (1) of Section 33 C of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.]

3. Limitation:

[The Appellant further declares that the appeal filed is within the period as specified in sub-section (2) of section 33C of <u>the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other</u> Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.]

Or

[The Appellant further declares that the present appeal is beyond the period specified in sub-section (2) of section 33C of <u>the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other</u> <u>Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 for reasons stated hereinunder:</u>]

4. Synopsis of the case:

[Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate, issue, fact or otherwise.]

- 5. Grounds of appeal:
- 6. Matters not previously filed or pending with any other court:

The appellant further declares that it or he has not previously filed any writ petition or suit regarding the similar subject matter in respect of which this appeal has been made before any court or tribunal or any other authority nor any such writ petition or suit is pending before any of them.

7. Relief(s) sought:

In view of the facts mentioned in para 4 above, the appellant prays for the following relief(s): (Specify below the relief(s) sought explaining the grounds for such relief(s) and the legal provisions, if any, relied upon.)

8. Interim order, if any, prayed for:

Pending final decision on the application, the appellant seeks issue of the following interim order: (Given here the nature of the interim order prayed for with reasons).

9. Details of Index:

(An Index containing the details of the documents to be relied upon is enclosed and also mentioned in List of enclosures).

10. Particulars of bank draft drawn in favour of the Drawing and Disbursing Officer, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal in respect of the fee for appeal.

List of enclosures:

- 1. Certified copy of the order against which appeal is sought;
- 2. Copy of the authorisation in favour of authorised representative;
- 3. Order of condonation of delay, if any;
- 4. Optional enclosures, if any.

Verification

I(Name of the appellant or authorised representative) S/o, W/o, D/o [indicate any one, as the case may be].....age.....age.....working asof the office of.......are true to my personal knowledge (derived from official record maintained by the appellant in its usual course of business) and paras......tobelieved to be true on legal advice and that I have not suppressed any material facts.

Date:

Place:

Signature and stamp of the appellant or authorised representative

Name, address, contact details including mobile number and email address of the appellant or authorised representative (Aadhaar number/PAN/DIN)